अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अंसारी नगर, नई दिल्ली

बजट अनुभाग

संख्या 1-11/2024-25/विविध/बजट

दिनांक:- 14.02.2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: चालू वित्त वर्ष 2024-25 के शेष भाग के दौरान जीआईए-पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन शीर्ष (परियोजनाएं, मशीन एवं उपकरण) और जीआईए-सामान्य शीर्षों के अंतर्गत फंड बुकिंग संबंधी|

चूंकि वित्त वर्ष 2024-25 अपने अंतिम चरण में है और विभिन्न विभाग उन्हें आबंटित फंड के उपयोग के संबंध में अलग-अलग गति से काम कर रहे हैं। इसलिए, सभी खरीद प्राधिकारीगण और भंडार अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे खरीद प्रक्रियाओं में तेजी लाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आबंटित फंड का वित्त वर्ष के भीतर लाभकर एवं पूर्णत: उपयोग हो सके। फंड के उपयोग और प्रभावी निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए, निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं-

1. सभी फाइलें जिनमें व्यय स्वीकृति हेतु एसओ/अनुमोदन दिनांक 31.01.2025 तक जारी हो चुके हैं, **वे फंड बुकिंग के लिए 20 फरवरी, 2025** तक बजट अनुभाग/केंद्र के वित्त विभाग में पहुंच जाने चाहिए। बजट अनुभाग/केंद्र के वित्त विभाग को प्रस्तुत किए गए बिल, जिनमें व्यय स्वीकृति दिनांक 31.01.2025 से पहले जारी की गई है और **20 फरवरी, 2025** के बाद बजट अनुभाग/केंद्र के वित्त विभाग को भेजे गए हैं, उनके लिए विभागाध्यक्ष/भंडार प्रभारी-अधिकारी द्वारा देरी का कारण बताने की आवश्यकता होगी।
2. 20 फरवरी, 2025 के बाद फंड बुकिंग हेतु प्रस्ताव अनुलग्नक-क के अनुसार दिए गए विवरण के आधार पर होंगे तथा चालू वित्त वर्ष हेतु बजट अनुभाग द्वारा पहले से ही किए जा चुके आबंटन पर विचार नहीं किया जाएगा। बजट अनुभाग/केंद्र के वित्त विभाग में प्राप्त सभी मामलों/प्रस्तावों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बुक/भुगतान किया जाएगा, जब तक कि जीआईए सामान्य/जीआईए पूंजी के तहत फंड समाप्त नहीं हो जाता।

   टीएसए/सब-टीएसए के तहत फंड समाप्त हो जाने पर, फंड बुकिंग और भुगतान केवल तत्काल और समयबद्ध देयताओं, जैसे जीईएम खरीद, जहां सीआरएसी दिनांक 25.03.2025 से पहले बना दी गई है या मजदूरी आदि के बिल के लिए ही किया जाएगा।
3. चूंकि "स्वायत्त निकायों की आंतरिक प्राप्तियों के उपयोग" के लिए नई नीति लागू है, किसी भी संभावित लेखापरीक्षा जांच से बचने के लिए, टीएसए के अंतर्गत फंड उपलब्ध न होने पर तथा उपर्युक्त उल्लिखित श्रेणियों में कवर न होने पर चालू वित्त वर्ष में एम्स मुख्य अनुदान से किए जाने वाले केवल किसी अति विशिष्ट भुगतान के लिए वरिष्ठ वित्त सलाहकार, एम्स के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
4. एम्स, मुख्य अनुदान (एसबीआई खाता)/केन्द्र की आरक्षित निधियों और अधिशेष से किए गए भुगतान की रिपोर्ट बजट अनुभाग और संकलन अनुभाग को दिनांक 15/02/2025 से साप्ताहिक आधार पर दी जाएगी तथा अंतिम भुगतान विवरण दिनांक 01.04.2025 तक दिया जाएगा।
5. यह सलाह भी दी जाती है कि दिनांक 29.03.2025 को शनिवार तथा दिनांक 30.03.2025 को रविवार होने के कारण सभी भुगतान दिनांक 28.03.2025 तक पूरे कर लिए जाएं।

6. सभी एल.सी. मामलों को 20 मार्च, 2025 तक पूरा करके भंडार खातों में भेज दिया जाए। इसके बाद, टी.एस.ए. के तहत फंड की उपलब्धता के अधीन भंडार खातों द्वारा कोई एल.सी. संबंधी भुगतान नहीं किया जाएगा।
7. जैसा कि पहले ही अनुरोध किया जा चुका है, "दिनांक 20/02/2025 के बाद फंड की किसी अतिरिक्त मांग/फंड समर्पण पर विचार नहीं किया जाएगा। केंद्रों में फंड बुकिंग और भुगतान से संबंधित कार्य करने वाले मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारियों/लेखा अधिकारियों से अनुरोध है कि वे तदनुसार अपने फंड का प्रबंधन करें।
8. दिनांक 20.03.2025 के बाद बजट अनुभाग/लेखा कार्यालय (केंद्र) (केवल ई-ऑफिस के माध्यम से) में प्राप्त फंड बुकिंग के सभी मामले, उपर्युक्त पैरा 3 में शामिल मामलों के अतिरिक्त, अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ही बुक किए जाएंगे।
9. इसी प्रकार परियोजनाओं और इंजीनियरिंग सेवा विभाग मदों के लिए, न्यूनतम महत्वपूर्ण फंड जारी करना प्रस्तावित किए जाए ताकि 20 मार्च 2025 को फंड पार्किंग से बचा जा सके।
10. उपर्युक्त विषय वस्तु और प्रक्रिया का सभी संबंधितों द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए ताकि एक बार बुक किए गए फंड को बाद में रद्द करने और अगले वित्त वर्ष में पुनः बुक करने की आवश्यकता न पड़े।

वित्त सलाहकार

वितरण:

सभी खरीद प्राधिकारीगण

(केंद्र/विभाग/भंडार (नि.का.)/अस्पताल भंडार/ इंजीनियरिंग सेवा विभाग/परियोजना अधिकारी)/पीएमयू

सभी केन्द्रों के मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारीगण/लेखा अधिकारीगण

प्रतिलिपि:

निदेशक के प्रधान निजी सचिव/अपर निदेशक (प्रशा.) के निजी सचिव/चिकित्सा अधीक्षक के निजी सचिव/वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव/ कम्प्यूटर सुविधा - इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अनुलग्नक क)

राशि लाख में

वित्त वर्ष 2024-25 हेतु आबंटित राशि	20.02.2025 तक बुक किए गए फंड	20.02.2025 तक व्यय	अतिरिक्त आवश्यकता/ प्रस्तावित सरेंडर	वे मामले जिनमें फंड बुक हो चुके हैं परन्तु 20.03.2025 तक डिलीवरी/बिल जारी नहीं हो पाएंगे	वे मामले जो आपूर्ति आदेश के लिए तैयार है (उपर्युक्त शामिल के अलावा) एवं फंड बुकिंग अभी की जानी है लेकिन डिलीवरी / बिलिंग 20.03.2025 तक पूर्ण हो जाएगी (इसमें एलसी मामले भी शामिल किए जाएं)	वे मामले जो आपूर्ति आदेश के लिए तैयार है (उपर्युक्त शामिल के अलावा) एवं अभी तक फंड बुकिंग होनी है, परन्तु डिलीवरी/ बिलिंग 20.03.2025 तक पूरी नहीं हो पाएगी	वे मामले जो खरीद के विभिन्न चरणों में हैं एवं वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संभावना है कि एसओ जारी नहीं हो पाएंगे
1	2	3	4	5	6	7	8

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
ANSARI NAGAR NEW DELHI-110029
BUDGET SECTION

No. 1-11/2024-25/Misc/Budget
Dated:- 14.02.2025

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Fund booking under head GIA-Creation of Capital Assets (Projects, M&E) and GIA-General heads during the remaining part of current Financial Year 2024-25.

As the financial year 2024-25 is on its last stage & different department are at different pace w.r.t utilisation of funds allocated to them. Therefore, all procuring Authorities & Store Officers are requested to expedite the procurement processes to ensure that the allocated funds are fruitfully & fully utilized within the financial year. In order to streamline the utilization and effective monitoring of funds, the following have been decided-

1. All files wherein the S.O /Approval for Expenditure Sanction stands issued by 31.01.2025 should reach the Budget Section/Centre's Finance Department by **20th of Feb, 2025** for booking of funds. The bills preferred to Budget Section/Centre's Finance Department wherein expenditure sanction is issued prior to 31.01.2025 & sent to Budget Section/Centre's Finance Department **after 20th Feb, 2025** would require Justification for delay by HOD/Stores Officer-In-Charge.
2. After 20th Feb, 2025 the proposals for funds booking will be based on the statement as per annexure-A without consideration of allocation already made by Budget Section for Current Financial Year. All cases / proposals received in Budget Section/Centre's Finance Department will be booked/Paid on first come first serve till the funds under GIA General/ GIA Capital gets exhausted.
   Once funds under TSA/Sub TSA are exhausted, the fund booking and payments will be made only for urgent and time bound liabilities only viz. GEM procurements where CRAC has been generated before 25.03.2025 or Bills for wages etc.
3. As the new policy for "Utilization of Internal Receipts of the Autonomous Bodies" is in force, to avoid any possible audit observation, only exceptional payments require to be made in Current Financial year out of AIIMS Main Grant once funds under TSA are not available and not covered in above mentioned categories would require prior approval of Sr. FA AIIMS.
4. Payments made out of AIIMS main Grant (SBI A/c)/Centre' Reserves and Surplus would be reported to Budget Section& Compilation Section on weekly basis starting from 15/02/2025 and final payment details by 01.04.2025.
5. It is also advised to complete all payments by 28.03.2025 being 29.03.2025 and 30.03.2025 Saturday & Sunday.
6. All L.C cases to be completed and sent to Store Accounts by 20th March, 2025. Thereafter no LC payments would be made by Store Accounts subject to availability of funds under TSA.
7. As has already been requested "No Additional Demand of Funds/Surrender of Funds will be entertained after 20/02/2025. F&CAOs/Accounts Officers dealing funds booking and payments in Centres are requested to manage their funds accordingly.
8. All cases of funds booking received in Budget Section/AO(Centres) (through e-office only) after 20.03.2025 would be booked for next FY 2025-26 only except covered in para 3 above.
9. Similarly for projects & ESD items, minimum critical funds should be proposed for release to avoid parking of funds by 20th March, 2025.
10. The above schedule and process needs to be strictly followed by all concerned so that the funds once booked are not required to be cancelled subsequently & re-book in next FY.

Financial Advisor

Distribution:

All procuring authorities
(Centres / Departments/Store (D.O) / Hospital Store/ESD /Project Officers)/PMU
All F& CAO/ Accounts Officers of all Centres

CC: PPS to Director/PS to D.D (A)/P.S to MS/ PS to Sr.FA/ Computer Facility for uploading on AIIMS Website

(Annexure A)

amount in lakh

Amount allotted for the FY 2024-25	Funds Booked till 20.02.2025	Expenditure till 20.02.2025	Additional Reqirement / Surrender proposed	Cases wherein funds have been booked but the Deliveries/ Bills are not likley to be raised by 20.03.2025	Cases which are ready for supply order (except included bove) and Fund Booking is yet to be done but deliveries/ Biling will be completed by 20.03.2025 (LC Cases to be included In this)	Cases Which are ready for Supply Order (except included above) and Fund Booking is yet to be done but Deliveries / Billing will Not be completed by 20.03.2025	Cases which are at different levels of procurement and SO are not likely to be issued during the FY 2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8